संख्या- 10 /2025/24/नौ-9-25/007-E-1721372

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक** 08 **जनवरी, 2025**

विषयः- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2024-2025 हेतु Million Plus शहरों के लिये संस्तुत Air Quality Improvement मद की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0-02/दस-2025-2/2020 दिनांक-06.01.2025 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक-02.01.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों को **15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु प्रदेश के Million Plus शहरों के लिये Air Quality Improvement मद की प्राप्त धनराशि रू0 33075.00 लाख (रू0 तीन सौ तीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)** 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (**नगर निगम, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी**) (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि उनके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों का अक्षरशः पालन करते, भारत सरकार के पत्र दिनांक-02.01.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (नगर निगम, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी)/Urban Agglomeration एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड को निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवसों के भीतर) उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ15(2) एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guideline के प्राविधानों एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MOEF & CC) द्वारा समय-समय पर की गयी संस्तुतियों/15वें वित्त आयोग के अध्याय-7 (Chapter-7) द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

(3) उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण करके निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नागर स्थानीय निकायों एवं कैंटोन्मेंट बोर्ड (यदि कोई हो) को उनके द्वारा किसी Scheduled Commercial Bank में 15वें वित्त आयोग हेतु नियमानुसार खोले गये बचत खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि नागर स्थानीय निकायों एवं कैंटोन्मेंट बोर्ड के 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नियमानुसार खोले गये अलग-अलग बैंक खाते में निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय। उक्त बैंक खाता पी0एफ0एम0एस0 से लिंक होना अनिवार्य है।

(5) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-5.3 के बिन्दु संख्या- XII में मिलियन प्लस सिटीज के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

(i) कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन Inter-Se Distribution केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैण्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ii) 15वें वित्त आयोग की धनराशि का निकायों के बीच आवंटन राज्य वित्त आयोग की अद्यतन संस्तुति के आधार पर की जायेगी, जिसमें कैंटोन्मेंट बोर्ड को भी सम्मिलित किया गया हो। राज्य वित्त आयोग की किसी विशेष श्रेणी के लिए आवंटन हेतु संस्तुति उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं क्षेत्र अनुपात 90:10 में की जायेगी।

(6) FC-XV recommended above mentioned Ambient Air Quality grant for Million-Plus Cities is intended to be utilized for air quality improvement measures as stipulated in the approved City Action Plan (CAP), on achieving measurable outcomes in reducing Concentration of particulate matter and for the measures stipulated in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) for improving air quality.

(7) The Ambient Air Quality Grant for Million-Plus Cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide Letter No.15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 10-08-2021 and recommendations contained in chapter-7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.

(8) The State Governments (State Finance Department) shall transfer grants-in-aid directly to the concerned Million Plus City/UA as mentioned against each such city above in column 5 within ten working days of receipt from the Union Government without any deduction.

(9) Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the grant with interest as per the weighted average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

(10) In the case of urban agglomerations which contain more than one Million-Plus city, the concerned State Government, in consultation with all such entities within the urban agglomeration, shall entrust one urban local body as the nodal entity to receive the grants. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire urban agglomeration. However, Some cities and towns may be part of some urban agglomeration, these grants will also be distributed to such ULBs(NMPCs) on the basis of accepted recommendations of the latest State Finance Commission (SFC). In case of non-availability of SFC recommendation for distribution within a particular category, the allocations should be done on the basis of population Census, 2011 and area in the ratio of 90:10.

(11) The State Governments/urban Local bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Accounts of each ULB has been opened for FC-XV recommended Ambient Air Quality grant linked with PFMS and maintained hereafter for every transaction for the full award period.

(12) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(13) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।

(14) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(15) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

(16) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगम के संबंध में नगर आयुक्त एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्यकार्यपालक अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में संबंधित मुख्यकार्यपालक अधिकारी/मुख्य अधिशासी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा-निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/मुख्यकार्यपालक अधिकारी/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217808000401 (आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000401 आगरा	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	39,00,00,000 (रुपये उनतालीस करोड़ मात्र)
	कुल			39,00,00,000 (रुपये उनतालीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000402 (प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000402 प्रयागराज	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	27,00,00,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ मात्र)
	कुल			27,00,00,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000403 (गाजियाबाद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000403 गाजियाबाद	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	71,00,00,000 (रुपये इकहत्तर करोड़ मात्र)
	कुल			71,00,00,000 (रुपये इकहत्तर करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000404 (कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000404 कानपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	65,25,00,000 (रुपये पैंसठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
	कुल			65,25,00,000 (रुपये पैंसठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000405 (लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000405 लखनऊ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	64,50,00,000 (रुपये चौंसठ करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			64,50,00,000 (रुपये चौंसठ करोड़ पचास लाख मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000406 (मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000406 मेरठ	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	21,00,00,000 (रुपये इक्कीस करोड़ मात्र)
	कुल			21,00,00,000 (रुपये इक्कीस करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217808000407 (वाराणसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000407 वाराणसी	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	43,00,00,000 (रुपये तैंतालीस करोड़ मात्र)
	कुल			43,00,00,000 (रुपये तैंतालीस करोड़ मात्र)

महायोग	3,30,75,00,000 (रुपये तीन अरब तीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-**E-9-422-X-2024-25- दिनांक: 08-01-2025** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

08.01.25

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

संख्या- 10 /2025/34(1) नौ-9-25/007-E-1721372, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु / कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग

आज्ञा से,

08.01.25

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

बी एम-9 (भाग -1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
A009-20242025-Reapp-1721372

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत आगरा, कानपुर नगर एवं वाराणसी हेतु प्राप्त सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन हेतु पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000500 (पन्द्रहवें वित्त आयोग - दस लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायो हेतु अनुदान)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	38,65,00,00,000 रुपये अड़तीस अरब पैंसठ करोड़ मात्र	13,82,09,96,000 रुपये तेरह अरब बयासी करोड़ नौ लाख छियानबे हजार मात्र	- 87,60,16,000 रुपये सत्तासी करोड़ साठ लाख सोलह हजार मात्र	876016000	37773984000	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000401 (आगरा)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,57,00,00,000 रुपये एक अरब सत्तावन करोड़ मात्र	19,72,45,000 रुपये उन्नीस करोड़ बहत्तर लाख पैंतालीस हजार मात्र	197245000	1767245000	2024-2025
037	2217808000404 (कानपुर)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,80,90,07,000 रुपये दो अरब अस्सी करोड़ नब्बे लाख सात हजार मात्र	65,25,00,000 रुपये पैंसठ करोड़ पच्चीस लाख मात्र	652500000	3461507000	2024-2025
037	2217808000407 (वाराणसी)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,28,00,00,000 रुपये एक अरब अट्ठाईस करोड़ मात्र	2,62,71,000 रुपये दो करोड़ बासठ लाख इकहत्तर हजार मात्र	26271000	1306271000	2024-2025

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक- 2217051910105 के अन्तर्गत भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।
(2) स्तम्भ-8 में 2217808000401, 2217808000404, 2217808000407 मद में आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तधर- 150 व 151 में निर्दिष्टल प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

<u>संख्या: आर. ई. संख्या–बजट-1- 242, दिनाँक 08.01.2025</u>

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(मोहम्मद वासिफ)
अनु सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

संख्या : <u>आर. ई. संख्या–बजट-1- 242, दिनाँक 08.01.2025</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2-महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3-मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मिशन निदेशक, अमृत 2.0, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6-सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- नगर विकास अनुभाग-5/गार्ड बुक।

आज्ञा से

(मोहम्मद वासिफ)
अनु सचिव।